राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–3906 / 2022

रामाधार मीना

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, जल संसाधन विभाग, राजस्थान सचिवालय, जयपुर।
2. शासन उप सचिव, जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. राजीव विजय, अधिशाषी अभिंयता, वर्तमान पदस्थापन अपीलार्थी के स्थान पर जल संसाधन परियोजना खण्ड, बूंदी।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 29.11.2022

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री दिलीप सिंह कुरका अधिवक्ता
प्रत्यर्थी संख्या–3 की ओर से : श्री अशोक बंसल, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री पुष्पेन्द्र पाल सिंह, अति. राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 की ओर से अंतरिम स्थगन आदेश दिनांक 11.10.2022 को निरस्त किये जाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अपील का जवाब भी अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से प्रस्तुत किया गया है। पक्षकारों को अंतिम रूप से सुना गया।
2. अपीलार्थी रामाधार मीना द्वारा इस अपील में स्थानान्तरण आदेश दिनांक 31.08.2022 (अनुलग्नक–1) एवं आदेश दिनांक 12.09.2022 (अनुलग्नक–1 / अ) को चुनौती दी गई है। अपीलार्थी का कथन है कि आदेश दिनांक 31.08.2022 के द्वारा अपीलार्थी जो कि जल संसाधन परियोजना खण्ड, बूंदी में कार्यरत था, उसे आदेशों की प्रतीक्षा में मुख्यालय पर रखा गया और अपीलार्थी के स्थान पर निजी प्रत्यर्थी संख्या–3 राजीव विजय को पदस्थापित किया गया। इसके पश्चात अपीलार्थी को आदेश दिनांक 12.09.2022 के द्वारा जल संसाधन खण्ड प्रथम बारां में अधिशाषी अभियंता के पद पर पदस्थापित किया गया है। उनका यह भी कथन रहा है कि निजी प्रत्यर्थी को अनुचित लाभ देने के लिये अपीलार्थी को स्थानान्तरित किया गया है। अपीलार्थी को पूर्व में आदेश दिनांक 17.06.2022 के द्वारा बूंदी में पदस्थापित किया गया था और निजी प्रत्यर्थी को बूंदी से

स्थानान्तरित कर जल संसाधन खण्ड द्वितीय छबडा, बारां में पदस्थापित किया गया था। निजी प्रत्यर्थी को फिर उसके पश्चात पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना निगम जयपुर में पदस्थापित किया गया, परन्तु निजी प्रत्यर्थी ने वहां पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया। उनका कथन है कि आलोच्य आदेश द्वारा निजी प्रत्यर्थी को अपीलार्थी के स्थान पर दुर्भावनापूर्वक पदस्थापित किया गया है, जहां वह पूर्व में कार्यरत था। अपीलार्थी को आदेश दिनांक 31.08.2022 के द्वारा आदेशों की प्रतीक्षा में किया गया है। इसके पश्चात आदेश दिनांक 12.09.2022 के द्वारा अपीलार्थी को जल संसाधन खण्ड प्रथम जिला बारां में स्थानान्तरित किया गया, जिस पर अल्पावधि में निजी प्रत्यर्थी को अनुचित रूप से समंजित करने के आशय से आदेश जारी होने के कारण इस अधिकरण द्वारा दिनांक 11.10.2022 को पारित अंतरिम स्थगन आदेश द्वारा स्थानान्तरण आदेश दिनांक 31.08.2022 एवं 12.09.2022 का क्रियान्वयन अपीलार्थी के पदस्थापन के सम्बन्ध में अधिकरण के आगामी आदेश तक स्थगित किया गया है। अतः अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 31.08.2022 एवं 12.09.2022 को अपीलार्थी के सम्बन्ध में अपास्त किया जावे।

3. निजी प्रत्यर्थी ने जरिये अधिवक्ता, प्रार्थना पत्र अंतरिम स्थगन आदेश को अपास्त किये जाने हेतु प्रस्तुत किया है, जिसमें अंकित किया गया है कि निजी प्रत्यर्थी पूर्व में अधिशाषी अभिंयता जल संसाधन परियोजना, खण्ड बूंदी के पद पर कार्यरत था। आलोच्य आदेश प्रशासनिक आवश्यकताओं के दृष्टिगत पारित किया गया है और अपीलार्थी को पुनः बारां में ही लगाया गया है। उनका तर्क है कि प्रशासनिक दृष्टि से प्रत्यर्थी विभाग ने यह माना है कि सिंचाई परियोजना जिला बूंदी के अन्तर्गत वर्ष 2010 में क्षतिग्रस्त बांध का निर्माण वर्ष 2022 जून माह में पूर्ण किया गया तथा इस वर्षाकाल में प्रथम बार भराव होने के कारण सुरक्षा एवं तकनीकी दृष्टि एवं देखरेख व रख–रखाव हेतु निजी प्रत्यर्थी को वहीं रखा जाना उचित माना गया, क्योंकि पूर्व में निजी प्रत्यर्थी उस स्थान पर कार्यरत था। इस सम्बन्ध में निजी प्रत्यर्थी ने विभाग के टिप्पण की प्रति भी प्रस्तुत की है, जो अनुलग्नक–आर/3/1 पर उपलब्ध है। अपीलार्थी को प्रशासनिक दृष्टि से जल संसाधन परियोजना खण्ड प्रथम, बारां में पदस्थापित किया गया है। अतः अपील मय स्थगन आदेश के खारिज फरमाई जावे।

4. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से विद्वान् अधिवक्ता ने जवाब प्रस्तुत कर तर्क दिया कि आदेश दिनांक 17.06.2022 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण जल संसाधन परियोजना खण्ड बूंदी के पद पर निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 राजीव विजय के स्थान पर किया गया है। परियोजना खण्ड बूंदी के अधीन गरदडा मध्यम सिंचाई परियोजना के क्षतिग्रस्त बांध का निर्माण वन विभाग से की जाने वाली कार्यवाही, नेहरों का निर्माण एवं बांध के कार्य में आए विचलन, जो कि मंत्री मण्डलीय समिति में विचाराधीन है तथा संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रकरण तैयार करना इत्यादि कार्य श्री राजीव विजय की देखरेख में किये जा रहे थे। जिसके क्रम में सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त कर आदेश दिनांक 31.08.2022 द्वारा श्री राजीव विजय का पदस्थापन पुनः जल संसाधन परियोजना खण्ड बूंदी के पद पर अपीलार्थी रामाधार मीना के स्थान पर किया गया एवं रामाधार मीना को आदेशों की प्रतीक्षा में किया गया। इसके पश्चात आदेश दिनांक 16.09.2022 (जिस पर सहवन से 12.09.2022 अंकित हो गयी थी) के द्वारा रामाधार मीना का पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा से जल संसाधन खण्ड प्रथम बारां के पद पर किया गया है। अधिशाषी अभियंता का पद राज्य सेवा का पद होने के नाते इस पद पर कार्यरत कार्मिक का पदस्थापन राज्य में विभाग के किसी भी कार्यालय में कार्य की आवश्यकता को देखते हुए किया जा सकता है। परियोजना खण्ड बूंदी के अधीन कार्य के सम्पादन में श्री राजीव विजय की प्रशासनिक आवश्यकता के मध्यनजर ही इनका स्थानान्तरण अधिशाषी अभियंता जल संसाधन परियोजना खण्ड बूंदी में किया गया। अतः अपील अपीलार्थी मय स्थगन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

5. हमनें उभयपक्षकारों के तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया।

6. यह प्रशासन के विवेक पर निर्भर करता है कि किस कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर ली जाए। निजी प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत टिप्पण से प्रकट होता है कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा गरडदा मध्यम सिंचाई परियोजना जिला बूंदी के अन्तर्गत वर्ष 2010 में क्षतिग्रस्त बांध का निर्माण वर्ष 2022 जून माह में पूर्ण किया गया तथा वर्षाकाल में पानी का भराव होना था। इस कारण सुरक्षा एवं तकनीकी दृष्टि से उसी अधिकारी (निजी प्रत्यर्थी) को जल संसाधन परियोजना खण्ड बूंदी में पदस्थापित किया गया है। क्योंकि पूर्व में निजी प्रत्यर्थी बूंदी में पदस्थापित रहा था, ऐसे में वर्तमान में जो स्थानान्तरण

आदेश पारित किया गया है, वह पूर्णतः प्रशासनिक दृष्टि से पारित किया गया सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश है। यह सही है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण अल्प समय में ही किया गया है, परन्तु चूंकि प्रशासनिक दृष्टि से स्थानान्तरण किया जाना आलोच्य आदेश से प्रकट है। ऐसे में आलोच्य स्थानान्तरण आदेश में किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि एवं नियम विरूद्धता दर्शित नहीं है एवं ऐसी स्थिति में अधिकरण के स्तर पर किसी प्रकार के हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है।

7. अतः अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं आधारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है, जिसे मय स्थगन आदेश दिनांक 11.10.2022 के एतद्द्वारा खारिज किया जाता है।

8. आदेश आज दिनांक 29.11.2022 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित कर उद्घोषित किया गया।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)